

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ24(41) NOC17-18/ बी.एड./आकाशि/17/330

दिनांक:-23.5.2017

संशोधित आदेश

विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ24(41) NOC17-18/ बी.एड./आकाशि/17/225 दिनांक 26.04.2017 के क्रम में एन.सी.टी.ई. के आदेश क्रमांक NRC/NCTE/APP-15028/Recognition./B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. /2016/158042 dated 15.09.2016 and Corrigendum Order No. NRC/ NCTE /APP-15028/ corrigendum/2017/ 174862-68 dated 02.05.2017 के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2017-18 के लिए बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड.(4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	जिला	सहशिक्षा/ महिला	आवंटित सीट
1	नवजीवन टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पिपराली रोड, तहसील-सीकर, जिला-सीकर।	सीकर	सहशिक्षा	100 (2 यूनिट)

आयुक्ता,  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. 2017 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, सीकर को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन वीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
8. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सचिव/ प्राचार्य, नवजीवन टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, पिपराली रोड, सीकर।
10. प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

नवजीवन शिक्षण संस्थान  
ज्योति नगर, पिपराली रोड  
सीकर (राज.)  
संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ24(41)NOC18-19/ बी.एड/आकाशि/18/382


दिनांक:-06.7.2018

**संशोधित आदेश**

एन.सी.टी.ई के आदेश क्रमांक NRC/NCTE/APP-15028/ 2017 /182445 dated 22-09-2018 के द्वारा बी.एससी.बी.एड(4 वर्षीय एकीकृत) पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय का नाम व पता परिवर्तित किया गया। विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ 24 (NOC18-19) बी.एड/आकाशि/18/245 दिनांक 02.04.2018 में अंकित महाविद्यालय के नाम में एनसीटीई के उक्त आदेश के आधार पर महाविद्यालय का नाम व पता परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संशोधन पश्चात महाविद्यालय का नाम व पता
1	Navjeevan Teachers Training Institute, Piprali Road, Tehsil-Sikar, Dist.- Sikar	<b>Navjeevan Vigyan Mahavidyalaya,</b> Nawalgarh Bypass Road, Housing Board, Sikar.

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
अतिरिक्त आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, पं० दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना (एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्राचार्य, नवजीवन विज्ञान महाविद्यालय, नवलगढ़ बाईपास रोड, हाउसिंग बोर्ड, सीकर-332001,
9. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।